हसन अली बनाम अख्तर बानों

अपील अर्न्तगत धारा 225 उपनिवेशन

मुकदमा नंबर 2022 / 33

जीसीएमएस नंबर 2022 / 138

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
06–11–25	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण वर्ष 2019 से नोटिस तामील के अभाव में लम्बित चल रहा है। शेष रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु कई बार लिखा जा चुका है। पूर्व आदेशिका दिनांक 12–08–2025 व दिनांक 28–08–2025 को वास्ते रजिर्स्टड नोटिस पेश व जारी एवं रशीदे पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। दिनांक 08–09–2025 को अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय में पेश आकर एक और अवसर दिये जाने का निवेदन किया जिस पर न्यायालय ने नरम रूख अपनाकर अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर एक और अवसर दिया गया, किन्तु आदिनांक तक किसी भी आदेशिका की पालना अमल में नही लाई गई है इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट जैरकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी पर भी अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक स्वयं को रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगवाई गई लेकिन उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर	